राजस्व वाद संख्याः– 149/2020
भगवान सिंह बनाम उम्मेद सिंह वगै0
निर्णय दिनांकः– 25.04.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दयानंद रूयल, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 149/2020

भगवान सिंह पुत्र शीशपाल सिंह जाति राजपूत निवासी मोरवा तहसील पिलानी जिला झुन्झनू राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. उम्मेद सिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी मोरवा तहसील पिलानी जिला झुन्झनू राजस्थान।
2. खेतसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी मोरवा तहसील पिलानी जिला झुन्झनू राजस्थान।
3. विक्रम सिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी मोरवा तहसील पिलानी जिला झुन्झनू राजस्थान।
4. समन्द्रकंवर पत्नि रामसिंह जाति राजपूत निवासी मोरवा तहसील पिलानी जिला झुन्झनू राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) की उप धारा (1)
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

–:: निर्णय ::–

दिनांक –25.04.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

यह कि प्रार्थी की भूमि ख0न0 496/345 ग्राम मोरवा में आने जाने के लिए अप्रार्थी नं. 1 लगायत 4 की भूमि ख.नं. 345 रकबा 0.5900 है0 में से प्रार्थी की भूमि ख0नं0 496/345 की उत्तरी सीमा तक कटानी रास्ता ख.नं. 565/345 से प्रार्थी की भूमि तक नजरी नक्शे में बिन्दू ए से बी दर्शाया गया है को 12 फुट चौड़ा घोषित किया जाना

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

फरमाया जावे व तहसीलदार सूरजगढ़ को उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद दर्ज किये जाने के आदेश दिया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तामील जरिये सम्मन जारी की गयी। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 4 की और से श्री विरेन्द्र कुमार एड0 ने वकालतनामा पेश किया । वकील अनावेदकगण द्वारा आपत्ति दर्ज की गई, आपत्ति पर बहस सुनी गई एवं आपत्ति को शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस सूनी गई एवं वकील अनावेदकगण द्वारा पेश आपत्ति पत्र दिनांक 23.09.2021 का अवलोकन किया गया। बहस व पत्रावली का अवलोकन करने पर तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट सही है तथा अनावेदकगण द्वारा पेश आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस, तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट।

बहस सुनी गई

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपॉर्ट क्रमांक राजस्व/2020/05 दिनांक 07/01/21 का अवलोकन किया गया जिसमें बताया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य दो विकल्प है जो मुताबिक नजरी नक्शा के A से B जिसकी दूरी 52 मीटर है व C से D तक जिसकी दूरी 56 मीटर है। इस भूमि से पूर्व में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं हुआ है तथा इस भूमि हेतु कोई प्रचलित रास्ता नहीं रहा है।

प्रस्तावित भूमि में नया रास्ता कायम करने पर ई से एफ तक 48 मीटर लम्बाई चौड़ाई 4 मीटर दूरी कायम करने पर 192 वर्गमीटर भूमि ख.नं. 345 रकबा 0.59 के खातेदारों उम्मेदसिंह, खेतसिंह, विक्रम सिंह पि0 रामसिंह हिस्सा 3/4 समन्दर कंवर पत्नि रामसिंह हि0 1/4 जाति राजपूत की कम होगी। इसके अलावा अन्य कोई इससे छोटा मार्ग उपलब्ध नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। इस प्रकार न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपॉर्ट क्रमांक राजस्व/2020/05 दिनांक 07/01/21 के साथ पेश नजरी नक्शा में दर्शित ख0 न0 भूमि ख0न0 496/345 ग्राम मोरवा में आने जाने के लिए अप्रार्थी नं. 1 लगायत 4 की भूमि ख.नं. 345 रकबा 0.5900 है0 में

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

से प्रार्थी की भूमि ख0नं0 496/345 की उत्तरी सीमा तक कटानी रास्ता ख.नं. 565/345 से प्रार्थी की भूमि तक नजरी नक्शे में बिन्दू ई से एफ 48 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई दर्शाया गया है को नया रास्ता कुल भुमि क्षेत्रफल 192 वर्गमीटर कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

भूमि खेत खसरा न0 496/345 रकबा 0.65 है0 वाके मौजा मोरवा तहसील पिलानी में चाहे गये रास्ते के लिए तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपॅार्ट क्रमांक राजस्व/2020/05 दिनांक 07/01/21 के अनुसार अप्रार्थी नं. 1 लगायत 4 की भूमि ख.नं. 345 रकबा 0.5900 है0 में से प्रार्थी की भूमि ख0नं0 496/345 की उत्तरी सीमा तक कटानी रास्ता ख.नं. 565/345 से प्रार्थी की भूमि तक नजरी नक्शे में बिन्दू ई से एफ तक 48 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई कुल भुमि क्षेत्रफल 192 वर्गमीटर दर्शाया गया है को नया रास्ता घोषित किया जाना न्यायोचित पाता है। तहसीलदार पिलानी को निर्देशित किया जाता है की वह रास्ते में जाने वाली भूमि की निर्धारित डीएलसी दर से दुगुनी राशि आवेदक से जमा कर सम्बन्धित खातेदार को उनके हिस्से अनुसार दी जावें। रास्ते के नाप में अगर कोई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करें व रास्ते में आने वाले पेड़ या अन्य बाधा को हटाया जाता है तो उसका हर्जा खर्चा प्रार्थी से वसूल किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अमल दरामद करें। तहसीलदार सूरजगढ़ की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 25.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

25.04.24

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़